न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 194/2025 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

सी एस एल फाईनेंस लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी
शाखा कार्यालयः ओसीएन प्लाजा, तीसरी मंजिल, जयपुर रोड़, सीकर, राज. 332001

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **आनन्द सिंह पुत्र भवानी सिंह,** रामदेवजी के मंदिर के पास, वार्ड नं. 24, गांव लोसल, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर (राज.) – 332023
2. **भवानी सिंह पुत्र पूस सिंह शेखावत,** रामदेवजी के मंदिर के पास, वार्ड नं. 24, गांव लोसल, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर (राज.) – 332023
3. **पूनम कंवर पत्नि आनन्द सिंह,**
   प्रथम पताः रामदेवजी के मंदिर के पास, वार्ड नं. 24, गांव लोसल, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर (राज.) – 332023
   अन्य पताः वार्ड नं. 12, वीपीओ राजपुरा–धोद, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर

–अप्रार्थीगण (ऋणी/बंधककर्त्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

आदेश

दिनांकः– 27 अक्टूबर, 2025

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री राहुल पारीक** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **आनन्द सिंह पुत्र भवानी सिंह, भवानी सिंह पुत्र पूस सिंह शेखावत** एवं **पूनम कंवर पत्नि आनन्द सिंह** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **आनन्द सिंह पुत्र भवानी सिंह** के स्वामित्व की बंधक आवासीय सम्पति जो कि **भूमि खसरा नम्बर 1708 एवं 1710, गांव लोसल, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर, राजस्थान, 332023** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 160.95 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में अन्य की भूमि, पश्चिम दिशा में आम रास्ता, उत्तर दिशा में अन्य की भूमि एवं दक्षिण दिशा में आम रास्ता स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

कुल ₹20,00,000/–(अक्षरे रूपये बीस लाख) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **07.05.2025** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **07.05.2025** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **आनन्द सिंह पुत्र भवानी सिंह, भवानी सिंह पुत्र पूस सिंह शेखावत** एवं **पूनम कंवर पत्नि आनन्द सिंह** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **आनन्द सिंह पुत्र भवानी सिंह** के स्वामित्व की बंधक आवासीय सम्पति जो कि **भूमि खसरा नम्बर 1708 एवं 1710, गांव लोसल, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर, राजस्थान, 332023** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 160.95 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में अन्य की भूमि, पश्चिम दिशा में आम रास्ता, उत्तर दिशा में अन्य की भूमि एवं दक्षिण दिशा में आम रास्ता स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **27 अक्टूबर, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)